महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
(शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन का स्वायत्तशासी संस्थान)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)
MAHARSHI SANDIPANI RASHTRIYA VEDAVIDYA PRATISHTHAN, UJJAIN
(An Autonomous Organization under the Ministry of Education, Govt of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, Ujjain-456006
Tele : 0734-2502266, 2502254, 2502255 Fax : 0734-2502266E-mail :msrvvpujn@gmail.com Website : msrvvp.ac.in

विषय- शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या रोकथाम के लिए माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित 15-सूत्रीय दिशा निर्देश

Subject- 15-point guidelines ordered by Hon'ble Supreme Court of India on 25-7-2025 for prevention of suicides by students in educational institutions- Regarding

शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या रोकथाम के लिए एक एकीकृत, लागू करने योग्य ढाँचे के संबंध में देश में विधायी और नियामकीय शून्यता पाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार(25-7-2025) को 15-सूत्रीय दिशानिर्देश जारी किए, जिन्हें सभी राज्यों द्वारा कानून के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। यह मानते हुए कि मानसिक स्वास्थ्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और माननीय न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 15-सूत्रीय दिशानिर्देश जारी किए, जो कानून को रूप में तुरन्त लागू होंगे।

The Supreme Court on Friday issued 15-point guidelines to be notified as law by all the states, after finding a legislative and regulatory vacuum in the country in respect of a unified, enforceable framework for suicide prevention of students in educational Institutes. Holding that mental health is an integral component of the right to life under Article 21 of the Constitution, a bench of Hon'ble Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta issued 15 point guidelines, which will be in force as law.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि युवा, जो अक्सर घर से दूर, कठिन शैक्षणिक वातावरण में अलग-थलग रहते हैं, खुद को पर्याप्त भावनात्मक या संस्थागत समर्थन के बिना पाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चुप्पी की संस्कृति, शैक्षणिक संस्थानों में अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ, उनकी भेद्यता को और बढ़ा देती है।

The court said that the young individuals, often far away from home, isolated in demanding academic environments, find themselves without adequate emotional or institutional support. The culture of silence around mental health, coupled with insufficient safeguards in educational institutions, exacerbates their vulnerability.

4/8/2025

यह मानते हुए कि आत्महत्या रोकथाम केवल एक नीतिगत उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा के अधिकार से जुड़ा एक अवश्य अनुपालनीय दायित्व है, पीठ ने निर्देश दिया कि 100 या अधिक नामांकित छात्रों वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को बाल और किशोर मानसिक स्वास्थ्य में प्रमाणित प्रशिक्षण प्राप्त कम से कम एक योग्य परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति करनी चाहिए या उन्हें इस हेतु संयोजित करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कम छात्रों वाले संस्थानों को बाहरी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ औपचारिक रेफरल संपर्क स्थापित करना चाहिए।

Maintaining that suicide prevention is not merely a policy objective but a binding obligation flowing from right to life, health, and human dignity, the Bench directed that all educational institutions with 100 or more enrolled students should either appoint or engage at least one qualified counsellor, psychologist, or social worker with demonstrable training in child and adolescent mental health.The court ordered that institutions with fewer students should establish formal referral linkages with external mental health professionals.

पीठ ने निर्देश दिया कि "सभी आवासीय संस्थानों को छेड़छाड़-रोधी सीलिंग फ़ैन या समकक्ष सुरक्षा उपकरण लगाने होंगे, और आत्म-क्षति के आवेगपूर्ण कृत्यों को रोकने के लिए छतों, बालकनियों और अन्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों तक पहुँच को प्रतिबंधित करना होगा।"

The Bench directed that "All residential-based institutions shall install tamper-proof ceiling fans or equivalent safety devices, and shall restrict access to rooftops, balconies, and other high-risk areas, in order to deter impulsive acts of self-harm."

15-सूत्रीय दिशा निर्देश जारी करते हुए, पीठ ने कहा कि ये उपाय तब तक लागू और अवश्य अनुपालनीय बने रहेंगे, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त कानून या नियामक ढाँचा लागू नहीं कर दिया जाता।

While issuing 15 guidelines, the Bench said the measures should remain in force and binding, until such time as appropriate legislation or regulatory frameworks were enacted by the competent authority.

सभी शैक्षणिक संस्थानों को एक समान मानसिक स्वास्थ्य नीति अपनाने और लागू करने का निर्देश दिया गया, जिसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2023 में जारी "उम्मीद" (समझना, प्रेरित करना, व्यवस्थित करना, सहानुभूति देना, सशक्त बनाना और विकसित करना) मसौदा दिशानिर्देशों - स्कूली छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए - "मनोदर्पण" पहल (कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद

4/9/2025

छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण) और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति से प्रेरणा ली गई। न्यायपीठ ने कहा कि "इस नीति की वार्षिक समीक्षा और अद्यतन किया जाएगा और इसे संस्थानों की वेबसाइटों और सूचना पट्टों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।"

All educational institutions were directed to adopt and implement a uniform mental health policy, drawing cues from the "UMMEED" (understand, motivate, manage, empathise, empower, and develop) draft guidelines — meant to prevent suicides by school students — released by the Ministry of Education in 2023, the "MANODARPAN" initiative (mental health and well-being of students during the Covid-19 pandemic and beyond) and the National Suicide Prevention Strategy. "This policy shall be reviewed and updated annually and made publicly accessible on institutional websites and notice boards of the institutes," the bench said.
सभी संस्थानों को छात्र के नाम-पहचान रहित रूप से रिकॉर्ड रखना होगा और स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेपों, छात्र रेफरल, प्रशिक्षण सत्रों और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट को संबध्द नियामक प्राधिकरणको प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

All institutions must maintain anonymised records of students and prepare an annual report detailing wellness interventions, student referrals, training sessions, and mental health-related activities. This report must be submitted to the relevant regulatory authority/affiliating body.

छात्रों और उनके माता-पिता या अभिभावकों को नियमित, संरचित करियर परामर्श सत्र प्रदान किए जाने चाहिए। योग्य परामर्शदाताओं द्वारा संचालित इन सत्रों का उद्देश्य अवास्तविक शैक्षणिक दबाव को कम करना, विविध शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और छात्रों को सूचित, रुचि-आधारित निर्णय लेने में मदद करना होना चाहिए। परामर्श समावेशी, सामाजिक-आर्थिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए, और योग्यता या सफलता की संकीर्ण परिभाषाओं को बल देने से बचना चाहिए।

Regular, structured career counselling sessions must be provided to students and their parents or guardians. These sessions, conducted by qualified counsellors should aim to reduce unrealistic academic pressure, promote awareness of diverse academic and professional pathways, and help students make informed, interest-based decisions. The counselling must be inclusive, socio-economically sensitive, and avoid reinforcing narrow definitions of merit or success.

18/7/25

15-सूत्रीय दिशानिर्देश सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होंगे, जिनमें सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग संस्थान, आवासीय अकादमियाँ और छात्रावास शामिल हैं, चाहे उनकी संबद्धता कुछ भी हो।

The guidelines with 15 points would apply **to all educational institutions**, including public and private schools, colleges, universities, training centres, coaching institutes, residential academies and hostels, irrespective of their affiliation.

15-सूत्रीय दिशानिर्देश/15 point-guidelines

1. हर संस्थान में पर्याप्त काउंसलर हो।
   There should be adequate counsellors in every institute.
2. छोटे बच्चों/छात्रों केलिए मेंटर नियुक्त किये जाएं।
   Mentors should be appointed for young children.
3. सुसाइड हेल्पलाईन नंबर वेबसाईट एवं जगह जगह पर स्पष्ट रूप से लिखित लगें।
   Suicide helpline numbers should prominently be displayed on website and in print at various places.
4. सभी स्टाफ की मानसिक स्वास्थ्य पर साल में दो बार ट्रेनिंग हो।
   All staff should be trained twice a year on mental health.
5. हाशिए पर खडें छात्रों केलिए विशेष संवेदनशीलता हो।
   There should be special sensitivity towards marginalised students.
6. यौन उत्पीडन एवं रैगिंग की शिकीयतों पर त्वरित कार्रवाही हो।
   Prompt action should be taken on complaints of sexual harassment and ragging.
7. अभिभावकों केलिए मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम हो।
   There should be mental health awareness programmes for parents.
8. मानसिक स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम सहगामीगतिविधियों में शामिल किया जाए।
   Mental health should be included in co-curricular activities.
9. प्रतिवर्ष छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार कि जाए।
   Annual mental health report should be prepared.
10. परीक्षा पेटर्न की समय समय पर समीक्षा की जाए।
    Examination pattern should be reviewed from time to time.

4/8/2025

11. योग्य परामर्शदाताओं द्वारानियमित और संरचित करयर काउंसेलिंग हो।

There should be regular and structured career counselling by qualified counsellors.

12. रेसिडेंसियल संस्थानों में बुलिंग एवं ड्रग मुक्त वातावरण सुनिश्चित हो।

Bullying and drug free environment should be ensured in residential Institutes.

13. इमरजेन्सी केलिए मानसिक स्वस्थ्य रेफरल प्रोटोकाल तय हो।

Mental health referral protocol should be fixed for emergencies.

14. सभी छात्र हित सेवाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाए।

Information about all student welfare services should be clearly given.

15. संवेदनशील मामलों पर तुरंत कार्यवाही के लिए आन्तरिक समिति बनें।

An internal committee should be formed for immediate action on sensitive matters.

*****

Orders issued for implementation of these guidelines in MSRVVP, RAVVs and affiliated Veda Pathashalas and GSP Units with immediate effect.

4/8/2025

(Viroopaksha V Jaddipal)

Secretary

Copy for compliance to:

1. Asstt Director (Academic and Patahshala)
2. Astt Director (Administration)
3. Astt Director (Examinations)
4. Astt Director (Research, Publications, Projects and Skills)
5. SO (Academic and Pathashala)
6. To be uploaded on Pratishthan's Website
7. To be sent to all affiliated Pathashalas/GSP Units through e-mail.